XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक........ निग.–874 I 15 .... जिला .... कटनी

सुजीत सिंह / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	1— यह प्रकरण आवेदक के आवेदन के आधार पर लिया गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा 41/27 के आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं पूर्व कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला कटनी के /86/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25–03–2014 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कार्यावाही के पूर्व कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। खसरा की प्रति में शासकीय दर्ज होने पर जानकारी उपरांत पारित आदेश की प्रमाणित प्रति उपरांत निगरानी प्रस्तुत की है जो जानकारी दिनांक से समयसीमा में मान्य किए जाने योग्य है। 3— आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि शासकीय पट्टे पर पदत्त भूमि जो राजस्व अभिलेख में सियादीन भूमिया आत्मज श्री दरबारी भूमिया आदिवासी के नाम दर्ज थी जिसके द्वारा विधिवत न्यायालय कलेक्टर कटनी के प्रकरण क्रमांक 36/अ–21/ वर्ष 2000–2001 आदेश दिनांक 14/12/2000 से परमिशन के आधार 21/12/2000 को विक्रेता आदिवासी के नाम राशि जमा कर विक्रय दिनांक 22/01/2001 को विमल कुमार शर्मा को अंतरण किया गया हैं। जिसके द्वारा आवेदक सुजीतसींग को दिनांक 17/05/2002 को विक्रय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज चला आ रहा हैं। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ उपरोक्त खसरा नंबर 588 रकवा 0.58 हे० ग्राम कछगवॉ का गलत प्रतिवेदन प्रेषित किया था। जिसकी सूक्ष्म जॉच किए बिना एवं आवेदक को विधिवत आहुत किए बिना विवादित आदेश पारित किया गया है इस कारण पारित आदेश दिनांक 25/03/2014 निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्ति का प्रयोग करते हुए	

क्र. प. उ.

निगरानी 874-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

श्री सुरजीत सिंह वल्द फूलसिंह गहरवार
निवासी ग्राम जसोगढ़ तह. नगौद जिला सतना म.प्र. ....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला कटनी, के प्रकरण क्रमाँक/86/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25–03–2014 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम कछगवां पटवारी हल्का नंबर 45 खसरा नंबर 588 रकवा 0.58 हे0 भूमि के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रेषित किया कि विवादित भूमि शासकीय पट्टे की (आदिवासी) भूमि है जो वर्तमान अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज है जिसका विक्रय कलेक्टर की अनुमति के बिना किए जाने से जांच कर कार्यवाही किए जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है जिसके आधार पर न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच और आवेदक को विधिवत् सूचनापत्र जारी किए बिना किसी अन्य की तामीली पर बिना राजस्व रिकार्ड का परिशीलन किए विवादित भूमि को शासकीय दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी आवेदक को खसरा की प्रति प्राप्त किए जाने पर हुई जिसके आधार पर विधिवत धारा 5 आवेदन के साथ जानकारी दिनांक से यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी प्रतिवेदन को आधार मानकर आदिवासी शासकीय पट्टे की भूमि होने मात्र से विवादित भूमि को शासकीय दर्ज किया है जबकि विवादित भूमि आदेश में उल्लेखित टिटुआ वल्द महावीर की ना